न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 16/2018

बउनवान

सत्यनारायण आयु 42 वर्ष पुत्र श्री नंदा जाति–मीणा निवासी–ग्राम भटवाडा तहसील–मॉगरोल,जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओम मेहता, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 19.08.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 25.1.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भटवाडा, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 160/–रूपये अर्थदण्ड एंव तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अपीलांट के सयुक्त खातेदारी की आराजी ख0नं0 203 रकबा 4.80 हैक्टर स्थित है, जिसके पास हीं हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से खसरा नम्बर 208 रकबा 0.10 है0 भूमि चारागाह बताकर धारा–22 कोलोनाईजेशन एक्ट का नोटिस जारी किया गया है तथा बिना सीमाज्ञान कराये गलत रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करने से पूर्व तहकीकात करनी चाहिये थी, अगर पैमाइश के बाद अपीलांट का कब्जा पाया जाता है तो उसके विरूद्व कार्यवाहीं अमल में लायी जाना चाहिये था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर, मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी अपीलांट के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 4.82 है0 के लगवां भूमि पर जिसपर अतिक्रमी बताया गया है, जबकि अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व मौके की पैमाईश नहीं की गयी है, बिना पैमाईश किये अपीलांट को अतिक्रमी मानकर सजायाब करने में भारी भूल की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 182/17 निर्णय दिनांक 24.03.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा आदेश दिनांक 25.01.2018 से पारित जप्ती, बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 31/18 में पारित निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, मॉगरोल कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 25.1.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.09.17 10:40:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: